न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 27/2016

प्रार्थीगण–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
1. धनदान पुत्र रूगदान 2. लेनिन पुत्र हरीदान 3. आईदान पुत्र हीरदान 4. रतन पुत्र मूलकरण जाति चारण निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा जरिये सरपंच 2. दौलाराम पुत्र सोनाराम जाति सांसी निवासी उगमणा वास, जागनाथ रोड़ बागरा, जिला जालोर 3. श्रीमती इन्द्रा चारण पत्नी मोहनसिंह चारण निवासी सिणधरी जिला बाड़मेर 4. सोहनदान पुत्र पारसदान जाति चारण निवासी सोजत सिटी जिला पाली हाल निवासी सिणधरी जिला बाड़मेर 5. घेवरचंद पुत्र हीराराम जाति सोनी निवासी सिणधरी चौसीरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 106 दिनांक 14.05.1981 जो अप्रार्थी सं. 2 दौलाराम के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मदनलाल सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1से4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 06.09.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 106 दिनांक 14.05. 1981 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुसूची मे वर्णित अनुसार 30 गुणा 45 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे बरती गई अनियमितता के कारण उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जिस भूमि का जारी किया गया हैं वह भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नही है बल्कि गैर मुमकीन गोचर भूमि का जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 में विहित नियमों की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सिणधरी का निवासी ही नहीं था तथा न ही उसका कब्जा आबादी भूमि पर था। अप्रार्थी सं. 3 को आलौच्य पट्टे का ज्ञान नहीं होने के कारण विवादित भूमि के पट्टे में उल्लेखित नाप व पडौस बदलकर रजिस्टर्ड बेचान अपने नाम करवा लिया। अप्रार्थी सं. 3 ने उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर विवादित भूखण्ड पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा आगे अप्रार्थी सं. 4 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 02.11.2015 को कर दिया। अप्रार्थी सं. 4 भी ग्राम पंचायत सिणधरी का निवासी नहीं हैं तथा आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूमि विवादित होने के कारण अंत में अप्रार्थी सं. 5 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 25.02.2016 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी द्वारा चारण समाज की पट्टा शुदा भूमि के दक्षिण किनारे पर कब्जा करने का प्रयास किया तब उसे चारण समाज व अन्य लोगों द्वारा रोका गया। ग्राम पंचायत द्वारा गोचर भूमि में जारी इस पट्टा विलेख को पूर्व में लक्ष्मणदान द्वारा पंचायत निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा चुनौती दी गई थी किन्तु अप्रार्थी सं. 3 के पति द्वारा लक्ष्मणदान को अपने प्रभाव से धमकाकर उक्त निगरानी याचिका विड्रॉ करवा दी गई।

3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण को आलौच्य पट्टा विलेख का ज्ञान पूर्व में नहीं हो सका था क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 दौलाराम ग्राम बागरा जिला जालोर निवासी हैं। आलौच्य पट्टे का ज्ञान प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 25.02.2016 को हुआ जब अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 4 द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई और उस रजिस्ट्री के आधार पर अप्रार्थी सं. 5 ने प्रार्थीगण चारण समाज की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तब ही लगभग 6 माह पूर्व विवादित पट्टे का ज्ञान हुआ। इस पर समस्त बेचान दस्तावेजों की नकलें प्राप्त की तथा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः आलौच्य पट्टा विलेख की जांच करावें व अवैध रूप से जारी किये गये पट्टा सं. 106 दिनांक 14.05.1981 को निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 106 दिनांक 14.05.1981 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम, 1961 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए नियम 266 के तहत जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत सिणधरी की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 अनुसूचित जाति के सदस्य का आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख निःशुल्क जारी किया गया था। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का पुराना कब्जा था जो जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रमशः अप्रार्थी सं. 3 श्रीमति इन्द्रा चारण, अप्रार्थी सं. 4 सोहनदान व अप्रार्थी सं. 5 को क्रमशः हस्तांतरित हुआ तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 5 का कब्जा तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट से साबित है। हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र में भी प्रार्थी सं. 1 व 2 ने विड्रॉ प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सं. 4 रतन पुत्र लूणकरण द्वारा खाली पेपर्स पर हस्ताक्षर अंकित कराकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वे इस प्रार्थना–पत्र को नहीं चलाना चाहते हैं। इस विड्रॉ प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को जो पट्टा जारी किया गया हैं वह एकदम सही एवं उनके कब्जे के आधार पर जारी किया गया हैं। इस प्रकार हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वंय प्रार्थीगण के कथनों से ही फर्जी एवं मनगढत है जो खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने मे राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। यद्यपि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 01 दिनांक 10.02.1981 के अनुसरण मे जारी किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध मूल पट्टा पत्रावली अथवा बैठक कार्यवाही रजिस्टर अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्तुत नही किया गया है। आलौच्य पट्टा विलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा नियम 266 के तहत अप्रार्थी सं. 2 को कब्जा शुदा मकान खसरा नम्बर 4 में जारी किया गया हैं जो प्रार्थीगण के कथनानुसार गैर मुमकीन गोचर भूमि हैं जिस पर ग्राम पंचायत का स्वामित्व नहीं होने से पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के विचारण के दौरान विवादित भूखण्ड की अवस्थिति एवं कब्जे से संबधित तथ्य के निश्चय हेतु तहसीलदार सिणधरी से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हैं कि विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 57 में आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 4 निजी खातेदारी की भूमि हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस बाद का स्पष्ट समाधान हो गया हैं कि खसरा नम्बर 4 ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि नहीं हैं। आलौच्य पट्टा की सत्यता एवं वैधता का परीक्षण करने हेतु ग्राम पंचायत के अभिलेख का परीक्षण आवश्यक हैं किन्तु वर्तमान में उक्त अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सका हैं। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिणधरी चारणान एवं सिणधरी चौसीरा की जमाबन्दियों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं जिसमें खसरा नम्बर 57 ग्राम सिणधरी चौसीरा की आबादी भूमि हैं जबकि खसरा नम्बर 4 ग्राम सिणधरी चारणान की गैर मुमकीन गोचर भूमि हैं। इस प्रकार दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिकथनों से यह कतई साबित नही हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख वास्तविक रूप से आबादी भूमि के भूखण्ड का है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम, 1961 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नही हो रहा है। ऐसे मे ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि से बाहर गैर मुमकीन गोचर भूमि का आलौच्य पट्टा जारी करने की अनियमितता की गई है तथा इस आधार पर उक्त पट्टा स्पष्ट रूप से अवैध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 106 दिनांक 14.05.1981 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:26 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर